

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल  
पुराना नर्सिंग हॉस्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा  
रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2227600 ईमेल [snrc.cg@gmail.com](mailto:snrc.cg@gmail.com), वेबसाइट [www.cgnrc.org](http://www.cgnrc.org)



कमांक/रजि० नर्सिंग का०/निरी./2022/.....2193

रायपुर, दिनांक ०५/०६/2022


// आदेश //

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन पर अभिमत के आधार एवं स्कूटनी कोर कमेटी के अनुशंसा अनुरूप काउन्सिल (परिषद्) की बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित संस्थाओं को डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ मान्यता प्रदान की जाती है:-

कमांक	महाविद्यालय का नाम एवं पता	डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग सीट संख्या सत्र 2022-23 हेतु
1	सेन्ट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड देवादा चौक कोपेडीह रोड, ग्राम-देवादा, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	10
2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज परिसर, जेल रोड, रायपुर (छ.ग.)	10


नियम एवं शर्त :-

1. नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधायें, प्रशिक्षण ब्लॉक/छात्रावास एवं स्टॉफ व्यवस्था सुनिश्चित रखना अनिवार्य है।
2. संस्था का वार्षिक निरीक्षण छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा प्रतिवर्ष तथा औचक निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जावेगा तथा मापदंड अनुसार संस्था संचालित नहीं पाये जाने की स्थिति में मान्यता निरस्त की जा सकती है एवं नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
3. संस्था द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं भारतीय उपचर्या परिषद् के नियमों/मापदंडों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
4. केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश/पठन-पाठन इत्यादि के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का संस्था द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है।
5. शिक्षण शुल्क छ.ग. शासन के नियमानुसार फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगी।

  
04/08/22

6. यह डिप्लोमा इन साईकेट्रिक नर्सिंग मान्यता शैक्षणिक सत्र 2022-23 (छ.ग. शासन द्वारा समय-समय द्वारा जारी निर्देशानुसार) हेतु ही प्रभावी होगी आगामी प्रवेश वर्ष हेतु पृथक से निरीक्षण एवं मान्यता नियमानुसार लिया जाना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष महोदय, छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा अनुमोदित।

  
रजिस्ट्रार

छ.ग. नर्सिंग रजि. काउंसिल  
रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 04/08/2022

पृ. क्रमांक/रजि० नर्सिंग का०/निरी./2022/...2194

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, इंद्रावती भवन, अटन नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंद्रावती भवन, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. परिसर रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. क्लेक्टर, ..... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ..... की ओर सूचनार्थ।
8. सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, ..... की ओर सूचनार्थ।
9. संबंधित संस्था को सूचनार्थ एवं पालनार्थ.....
10. कार्यालयीन प्रति।

  
रजिस्ट्रार

छ.ग. नर्सिंग रजि. काउंसिल  
रायपुर (छ.ग.)